



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 234/2025

दिनांक- 11.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक- 11.09.2025 को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा अन्तर्जनपदीय 04 नफर शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पाँच चोरी की मोटर साईकिल व दो तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर व 04 मोबाइल बरामद किया गया।

थाना-फूलपुर

वाहन चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय 04 शातिर अभियुक्त/चोर को गिरफ्तार किया गया
अभियुक्तों/चोरो के कब्जे से चोरी की 05 मोटर साईकिल व दो तमंचा .315 बोर व दो
जिन्दा कारतूस .315 बोर व 04 मोबाइल बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज दिनांक 11.09.2025 को थानाध्यक्ष फूलपुर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पाँच व्यक्ति चोरी की मोटर साईकिल के साथ जगदीशपुर गिट्टी प्लान्ट से थोड़ा आगे तरफ दाहिने पटरी पर बने कटरा के पूरब तरफ झाड़ियों/झरमुट की आड़ में इकट्ठा है उनके पास चोरी की मोटर साईकिले तथा कट्टा व कारतूस भी है, जो अपराधिक किस्म के है, मोटर साईकिलो को बेचने हेतु इकट्ठा हुये है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानन्द यादव मय फोर्स जगदीशपुर गिट्टी प्लान्ट से थोड़ा आगे तरफ दाहिने पटरी पर बने कटरा के पूरब तरफ झाड़ियों/झरमुट के पास एक बारगी दबिश देकर घेरकर अभियुक्तगण 1. आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडउरा थाना गम्भीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष 2. प्रिंस तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश तिवारी निवासी कोहडउरा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 3. अफसर अहमद पुत्र स्व0 अजीमुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष 4. मो0 कामरान पुत्र मो0 फारुख निवासी मोहम्मदपुर चौक थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को समय 04.35 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से पाँच चोरी की मोटर साईकिल व दो तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर व 04 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-303/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बनाम आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडउरा थाना गम्भीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष आदि 04 नफर व मु0अ0सं0 432/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडउरा थाना गम्भीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष तथा मु0अ0सं0-433/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम अफसर अहमद पुत्र स्व0 अजीमुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष पंजीकृत किया गया। पकड़े गये अभियुक्तगण के पास से पाँच चोरी की मोटर साईकिल व दो तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर व 04 मोबाइल बरामद दिया गया।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण:-

सभी अभियुक्तों ने सामुहिक रूप से पूछताछ किया गया तो सभी ने बताया कि साहब हम पाँच लोगो का एक गिरोह है हम लोग सामुहिक रूप से किसी स्थान पर घटना को करने से पहले उसकी रैकी करते है उसके पश्चात ही एक दूसरे के सहयोग से घटना को अंजाम देते है। हम लोग अलग अलग स्थानो से मोटर साईकिल को चोरी करके उनके नम्बर प्लेट एवं चेचिस नम्बरो को मिटाकर, गाडियो पर पेन्ट आदि करके उनकी पहचान आदि को छिपाकर बेच देते है तथा उससे जो आमदनी होती है उसे आपस मे बराबर भागो मे बाटकर उसी पैसे से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है तथा भौतिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त करते है तथा हम लोगो के साथ आदर्श तिवारी पुत्र स्व0 त्रिभुवन तिवारी निवासी ग्राम रामेश्वर पेट्रोल पम्प के पास हरहुआ जनपद वाराणसी भी आपराधिक घटनाओं मे शामिल रहता है। आज हम सभी लोग इन चोरी की मोटर सायकिलो को बेचने के लिये आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

1. आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडउरा थाना गम्भीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष
2. प्रिंस तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश तिवारी निवासी कोहडउरा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
3. अफसर अहमद पुत्र स्व0 अजीमुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष
4. मो0 कामरान पुत्र मो0 फारुख निवासी मोहम्मदपुर चौक थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडउरा थाना गम्भीरपुर

1. मु0अ0सं0-303/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-432/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-432/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2.प्रिंस तिवारी पुत्र स्व0 बृजेश तिवारी निवासी कोहडउरा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

1. मु0अ0सं0-303/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

3.अफसर अहमद पुत्र स्व0 अजीमुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष

1. मु0अ0सं0-303/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-433/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

4. मो0 कामरान पुत्र मो0 फारुख निवासी मोहम्मदपुर चौक थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

1. मु0अ0सं0-303/2025 धारा 303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-140/2017 धारा 3/5ए/8/5 गोबध निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0-206/2018 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
- 4.

वांछित/फरार अभियुक्त-

1. आदर्श तिवारी पुत्र स्व0 त्रिभुवन तिवारी निवासी ग्राम रामेश्वर पेट्रोल पम्प के पास हरहुआ जनपद वाराणसी

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 मोटर साईकिल
2. 04 मोबाइल फोन
3. 360/- रुपया नगद

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

प्रथम टीम-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 सच्चिदानन्द थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
2. म0उ0नि0 प्रियंका तिवारी थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
3. का0 उपेन्द्र कुमार वर्मा थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
4. का0 विशाल गौड़ थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
5. का0 शुभम सिंह थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।

द्वितीय टीम-

1. उ0नि0 उमाशंकर यादव थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
2. उ0नि0 अजीज खान थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
3. का0 अरविन्द कुमार तिवारी थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
4. का0 आदेश कुमार यादव थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
5. का0 वीरेन्द्र कुमार यादव थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।
6. का0 आलोक सिंह थाना-फूलपुर,आजमगढ़ ।

